

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-20.06.2018

संख्या-14/प्रो० 119/2016 8219 सा०प्र०-बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13) के सेवानिवृत्त पदाधिकारी श्री हाकिम प्रसाद, कोटि क्रमांक-368/11 को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/-, पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13ए.) में दिनांक -30.03.2017 के प्रभाव से वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

( विमलेश कुमार झा )

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 14/प्रो० 119/16 सा०प्र०- 8219 / पटना-15, दिनांक- 20.6.18  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाथ ( प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से )/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्री हाकिम प्रसाद, बि०प्र०से०(से०नि०) कोटि क्रमांक-368/11/प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।